

3581

3192 5000Rs.



*Saleb*  
*Rs. 54000/-*  
*5.000/-*  
*14/3*

*460000*

*23*

*1413102*

*MR.*  
*744-*  
*A2 1080*  
*25*  
*250*  
*294*  
*1128-44*  
*RC*

यह बिफ्रय- पत्र आज दिनांक 14 माह मार्च सन 2002 ई० को इस प्रकार सम्पन्न होता है :-

लेख्यकारी :- श्री उदित राम पिता भैरव महतो जाति तेली, पेशा-  
 खेतीबारी, निवासी ग्राम पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची, राज्य झारखण्ड । { भारतीय नागरिक } " बिफ्रेता" ।

लेख्यधारी :- श्रीमती श्वेता सिन्हा पीत श्री अधिस कुमार जाति -  
 कायस्थ, पेशा गृहणी, निवासी ग्राम पो० मोरौल, जिला पेशाली, । { भारतीय नागरिक } ... " फ्रेता" ।

लेख्य प्रकार :- यह बिफ्रय पत्र आज दिनांक से सदा के लिये । जिसका वार्षिक लगान 1/- { एक } रुपया अलावे शेष इत्यादि ।

लेख्य मूल्य :- मो०- 54,000/- { चौवन हजार } रुपया मात्र ।

इस पत्र सं० 728, 727, 729, 1413102  
 श्री 15/3/02  
 2011

*Handwritten notes and signatures in Hindi, including a date '14/3/02' and a signature.*

*45400*  
*27500*  
*10800*  
*83200*


*Handwritten vertical text: 2008 15/1/11*

5057 31/2/02 83201  
No. Date  
Non-Judicial Stamp - worth Rs. \_\_\_\_\_  
shweta Singh w/o Hachur Kumar  
Sold to Shri \_\_\_\_\_  
along with the stamps of Rs. 5000/-

Ranchi Treasury, Ranchi

31/2/02

2873/02  
31/2/02  
20/04/02  
3-9/11  
14/3/02



M. 679/02

adh  
14/3/02

31/2/02

98-3-2002 8/6/02

adh  
14/3/02



M. 680/02 T.P. 680/02



adh  
14/3/02

adh

14/3/02



-: 2 :-

नाम जयदीप शारङ्ग सरकार अंचल पदाधिकारी रातु अंचल; जिला राँची ।

लेख्य सम्पत्ति का विवरण :- मवाजी 4½ कठ्ठा भूमि जो हीक्यत खरीदगी रेयती भूमि मीजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना नं० - 228, जो जिला राँची में स्थित है । जिस पर लेख्यकारी शांति पूर्वक दखल कब्जा कर चले आ रहे हैं । जो राँची अवर निबंधन पदाधिकारी राँची एवं सह जिला निबंधन पदाधिकारी राँची से संबंधित है । जो नवीस्ते जतरु लोहार पिता म्हा लोहार से दिनांक- 08.06.1968 ई० को रजिस्ट्री पट्टा के द्वारा प्राप्त कर जिसका बुक नं० 1, भोलुम नं० 54, पेज नं० 152 से 154 तक है । जिसका सिरियल नम्बर 6626 दस्तावेज नम्बर 6317 है । जो राँची अवर निबंधन के कार्यालय में दर्ज है । जिसका अन्दर खाता नम्बर 253, प्लॉट नं० 181, एवं खाता नं० 252, प्लॉट नं० 180, दोनों प्लॉटों का कुल रकबा - 83 डी० मध्ये रकबा - 4½ कठ्ठा जमीन अपना हक और हिस्से की भूमि को लेख्यधारी के हाथों बिक्री करते हैं ।

जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है :-

उत्तर :- सर्व प्लॉट नं० 178 एवं सब प्लॉट नं० 180/37

दक्षिण :- 20 १ बीस १ फीट का प्रस्तापित रास्ता ।

पुरब :- सब प्लॉट नं० 181/33

पश्चिम :- 20 १ बीस १ फीट का प्रस्तापित रास्ता । --3

जयदीप शारङ्ग  
14/07/2002



8 FEB 2022

राजीव

-: 3 :-

भूमि का नापी इस प्रकार है :-

उत्तर तरफ :- 65 फीट ✓

दक्षिण तरफ :- 65 फीट ।

पूरुब तरफ :- 50 फीट ।

पश्चिम तरफ :- 50 फीट ✓

विदित हो कि इस दस्तावेज के साथ लाल रंग से रंग कर नक्सा को दर्शाया गया है जिसका सब प्लॉट नं० 18/38 के रूप में चिन्हित किया गया है जो इस दस्तावेज का अभिन्न अंग है ।

विदित हो कि यह भूमि राँची नगर निगम क्षेत्र से सहायक अभियन्ता के पत्रांक- 662 दिनांक- 15.02.2002 ई० के अनुसार राँची नगर निगम क्षेत्र से बाहर पड़ता है ।

विदित हो कि लेख्यकारी के नाम से रातु अंचल में दाखिल खारीज भी हो चुका है जिसका सरकारी लगान भी कट रहा है ।

-: सँ द र्भ :-

विदित हो कि बिक्रय वाली भूमि पर बिक्रेता अपने हक वो हिस्से की मुताबिक काबिज वो दखलकार है ।

चूँकि बिक्रेता को इस समय मकान बनाने एवं आवश्यक कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता आ पड़ी है । इसलिये उपर वर्णित भूमि स्तम्भ-

2000/14/31/2002  
राजीव



44

8 FEB 2022  
राज्य  
: 4 :-

6 में जो अंकित किया गया है को बिक्री करने हेतु इच्छा व्यक्त प्रेता के साथ किये जिस पर दोनों पक्ष प्रेता एवं बिक्रेता के बीच कुल रकबा 4 1/2 कट्टा जमीन की कीमत रुपये मात्र निश्चित करके बिक्रय करने की बात तय हुई और उक्त प्रतिफल में प्रेता क्रय करने की अपनी मंजूरी बिक्रेता को दिये ।

अतः हर प्रकार के दायित्व नुक्स लीटिगेशन एवं ऋणभार से मुक्त अर्थात् सब प्रकार से स्वच्छ एवं निर्मल भूमि को बिक्रेता कुल राशि 54,000/- चौवन हजार रुपये मात्र में उक्त प्रेता के हाथ बिक्री कर हस्तान्तरण कर दिये तथा बिक्री पट्टा रॉंची निबंधन कार्यालय में सम्पन्न करा कर हमेशा के लिये स्वामित्व प्रदान कर दखलकार कर दिये । अब किसी प्रकार का हक, दावा, सरोकार या स्वामित्व बिक्रेता एवं उनके उत्तराधिकारीगण का नहीं रहा और न ही भविष्य में भी कभी होगा एवं नुक्स निकले तो आज तारीख से पहले जो नुक्स निकले तो लेख्यकारी एवं उनके वारिसानों देगें । अर्थात् हर प्रकार का हक, दावा, स्वामित्व, सरोकार एवं प्रभुत्व बिक्रेता से विलग होकर प्रेता एवं उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ और बराबर रहेगा । इसलिए अब प्रेता को चाहिये कि तैय भूमि पर बँटिसयत मालिक के काबिज वो दखलकार होकर वो रहकर अपने मन पसंद इस्तेमाल में लावें उस पर बाण्ड्रीवाल दिलावें, कुआँ खोदें, बाग-बगीचा लगावें, मकान बनावें वो भी समय जरूरत पर किसी के साथ बैय बिक्री, बँधक दान करें । इसमें बिक्रेता एवं उनके वारिसानों को किसी तरह -

22/2/2022  
14/18/2022



-: 5 :-

की कोई आपत्ति विरोध अथवा हस्तक्षेप नहीं होगा और न ही भविष्य में कभी करेंगे यदि करेंगे तो नाजायज वी निर्मूल माना जायेगा ।

विदित हो कि क्रेता एवं बिक्रेता दोनों आपस में परिचित हैं वो क्रेता जमीन से संबंधित कागजात का स्वयं जांच पड़ताल किये एवं जमीन का नापी करा कर सभी प्रकार से सन्तुष्ट होकर जमीन खरीद रहे हैं एवं उनके दिये विवरण के अनुसार ही दस्तावेज तैयार किया गया । साथ ही बिक्रेता यह भी विश्वास दिलाते हैं कि इस भूमि को वे किसी अन्य के हाथों बिक्री या स्कार नहीं किये ।

क्रेता को यह भी चाहिए कि सेय जमीन पर सब प्रकार से दखलकार रहते हुये संबंधित अंचल रातु में अपने नाम से दाखिल खारीज करा कर रसीद लिया करें । इसमें बिक्रेता या उनके उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार का अनुनय विनय अथवा आपत्ति नहीं है और न ही विरोध है न होगा ।

अतः यह बिक्रय पत्र बिक्रेता साक्षी स्वरूप उपर निर्दिष्ट तिथि और वर्ष को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करते हैं तथा लेख्यधारी को हमेशा के लिये सुपूर्द कर दिये ताकि समय पर काम आवे ।

--5



6 :-


लेख्यकारी एवं लेख्यधारी दोनों को यह रजिस्ट्री पदटा पट कर वो पटवा कर सुन वो समझा दिया तथा बिब्रेता सन्तुष्ट होकर एवं प्रश्नमत रूपया पाकर गवाहों के समक्ष अपना अपना हस्ताक्षर कर दिये ताकि समय पर काम आवे ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन उत्खान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है ना ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिये नहीं किया गया है ना ही भूदान की जमीन है । यह वन सीमा से बाहर है तथा बं० सी० सी० स्ल० या ई० सी० स्ल० की भी जमीन -

2006/8/14/1  
2017/2/20/1



#



-: 7 :-

नहीं है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भूमि आदिवासी खाते की नहीं है और ना ही आदिवासी से संबंधित है, जमीन तिलीग से मुक्त है, जमीन मठ, मींदर, गिरजा या मस्जिद की नहीं है ।

WITNESSES  
12/12/17

--8

20 Rs.



-: 8 :-

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज एवं द्वितीय प्रीत एक दूसरे को हू-ब-हू स्व सच्ची प्रतीति है ।

आज दिनांक माह मार्च सन 2002 ई० मुकाम, राँची ।

गवाह का हस्ताक्षर

1. 21/9/17  
शुभ

2. Anil Prasad Singh

बिक्रेता का हस्ताक्षर

उदित शर्मा  
14/8/2002

द्राष्टकर्ता

14/3  
॥ जीवन खन्ना ॥ अधिवक्ता, राँची ।

टंककः

शक्ति कुमार  
॥ शंकर कुमार ॥

Car  
2 Keyon  
14/3/2002  
Bas  
14.2.02

